



BSF के क्षेत्राधिकार का वसितार

प्रलिस के लयः

सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत का मुख्य न्यायाधीश, पासपोर्ट अधनियम, 1967, भारतीय दंड संहति (IPC), गृह मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय

मेन्स के लयः

सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र के वसितार का संघीय ढाँचे और देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने स्पष्ट कया कि केंद्र की वर्ष 2021 की अधसूचना, जो पंजाब में [सीमा सुरक्षा बल \(BSF\)](#) के अधिकार क्षेत्र को 15 से 50 किलोमीटर तक बढ़ाती है, BSF को केवल समबद्ध सीमाओं के भीतर वशिष्ट अपराधों को रोकने हेतु परस्पर कार्य करने का अधिकार देती है तथा यह राज्य पुलिस के जाँच अधिकार को कम नहीं करती है।

- वर्ष 2021 में पंजाब सरकार ने BSF के अधिकार क्षेत्र का वसितार करने वाले केंद्र के नरिणय को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख कया।

BSF के क्षेत्राधिकार को वसितारति करने के संबंध में केंद्र की अधसूचना क्या है?

परचियः

- इस अधसूचना ने **BSF अधनियम, 1968** के तहत वर्ष 2014 के आदेश को प्रतसिथापति कया, जसिमें मणपुर, मज़ोरम, त्रपुरा, नगालैंड और मेघालय राज्य भी शामिल थे।
 - इसमें असम, पश्चिम बंगाल तथा पंजाब समेत दो नव नरिमति केंद्रशासति प्रदेश- **जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख** का भी वशिष रूप से उल्लेख कया गया है।
- जनि उल्लंघनों के मामले में सीमा सुरक्षा बल तलाशी और ज़बती की कार्यवाही कर सकता है, उनमेंनशीले पदार्थों की तस्करी, अन्य प्रतबिंधति वस्तुओं की तस्करी, वदिशयों का अवैध प्रवेश और कसिी अन्य केंद्रीय अधनियम के तहत दंडनीय अपराध आदि शामिल हैं।
- कसिी संदगिध को हरिसत में लेने या नरिदषिट क्षेत्र के भीतर एक खेप ज़बत कया जाने के बाट **BSF केवल 'प्रारंभिक पूछताछ' कर सकती है** और 24 घंटे के भीतर संदगिध को स्थानीय पुलिस को सौपना आवश्यक है।
 - संदगिधों पर मुकदमा चलाने का अधिकार **BSF के पास नहीं है**।

BSF की वशिष शक्तयिाँ:

- सभी सीमावर्ती राज्यों में, जहाँ तक अपराधों पर वचार कया जाता है, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लयसीमा सुरक्षा बल अधनियम, 1968 के तहत शक्ति प्रदान की गई है। 1969 से अब तक गुजरात में 80 कमी. और कुछ राज्यों में यह कम था जो अब यह एक समान 50 कमी. हो गया है। इसका मतलब केवल यह होगा कि **दंड प्रकरया संहति 1973, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधनियम, 1920 और पासपोर्ट अधनियम, 1967 आदि के तहत कुछ अपराधों के संबंध में** बीएसएफ के पास भी अधिकार क्षेत्र होगा।
 - स्थानीय पुलिस का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा। बीएसएफ को समवर्ती क्षेत्राधिकार भी प्रदान कया गया है।

क्षेत्राधिकार के वसितार में शामिल वभिन्निन मुद्दे क्या हैं?

बड़े मुद्दे:

- सार्वजनिक व्यवस्था बनाम राज्य की सुरक्षा: सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना पुलिस का कार्य है, सार्वजनिक सुरक्षा और शांति मुख्य रूप से राज्य सरकार की ज़मिमेदारी है (क्रमशः राज्य सूची की प्रवषिटि 1 और प्रवषिटि 2)।

- हालाँकि जब कोई गंभीर सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है जिससे राज्य या देश की सुरक्षा या रक्षा को खतरा हो सकता है (संघ सूची की प्रवर्षि 1), तो स्थिति केंद्र सरकार के लिये भी चिंता का विषय बन जाती है।
- संघवाद की कमजोर होती भावना: राज्य सरकार की सहमति प्राप्त कथि बनिा, अधिसूचना राज्यों की शक्तियों पर अतिक्रमण के समान है।
- पंजाब सरकार ने कहा है कथिह अधिसूचना सुरक्षा या विकास की आड़ में केंद्र का अतिक्रमण है।
- बीएसएफ की कार्यप्रणाली पर असर: भीतरी इलाकों में पुलिसिगि सीमा सुरक्षा बल की भूमिका नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा करने के अपने प्राथमिक कर्तव्य के नरिवहन में बीएसएफ की क्षमता को कमजोर कर देगी।
- पंजाब से संबंधित मुद्दे:
 - इसके तहत 50 कर्मी. तक के आसपास के क्षेत्र पर राज्य पुलिस के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हर संज्ञेय अपराध पर हर शक्तिका प्रयोग करने की समवर्ती शक्ति है।
 - पंजाब जैसे अपेक्षाकृत छोटे राज्य में जब इसे 15 से बढ़ाकर 50 कर दिया जाता है, तो सभी प्रमुख शहर इसके अंतर्गत आ जाते हैं।
- जहाँ तक अन्य राज्यों गुजरात और राजस्थान की बात है तो गुजरात में काफी बड़े इसिसे में दलदली भूमि है। वहाँ इसे बढ़ाना उचित हो सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत कोई भी प्रमुख शहरी केंद्र नहीं आता है, जैसे- राजस्थान, जहाँ रेगसिान है।

राज्यों में सैन्य बलों की तैनाती पर संवैधानिक दृष्टिकोण:

- अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र किसी राज्य को "बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति" से बचाने के लिये अपनी सेना तैनात कर सकता है जब भी जब संबंधित राज्य केंद्र की सहायता की मांग नहीं करता है और केंद्रीय बलों की सहायता प्राप्त करने का अनर्चिष्ट है।
- संघ के सशस्त्र बलों की तैनाती के लिये किसी राज्य के वरिध के मामले में केंद्र के लिये सही रास्ता पहले संबंधित राज्य को अनुच्छेद 355 के तहत नरिदेश जारी करना है।
- राज्य द्वारा केंद्र सरकार के नरिदेश का पालन नहीं करने की स्थिति में केंद्र अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के तहत आगे की कार्रवाई कर सकता है।

BSF क्या है?

- BSF की स्थापना वर्ष 1965 में भारत-पाकसिान युद्ध के बाद की गई थी।
- यह गृह मंत्रालय (MHA) के प्रशासनिक नरिंत्रण के तहत भारत संघ के पाँच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है।
 - अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं: असम राइफल (AR), भारत-तबिबत सीमा पुलिस (ITBP), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रजिर्व पुलिस बल (CRPF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और सशस्त्र सीमा बल (SSB)।
- 2.65 लाख पुलिस बल पाकसिान और बांग्लादेश सीमा पर तैनात हैं।
 - इसे भारत-पाकसिान अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा, नरिंत्रण रेखा (LoC) पर भारतीय सेना के साथ तथा नकसल वरिधी अभयानों में तैनात कथिा जाता है।
- BSF अपने जलयानों के अत्याधुनिक बेड़े के साथ अरब सागर में सर करीक और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेलटा की रक्षा कर रहा है।
- यह प्रत्येक वर्ष अपनी प्रशिक्षित जनशक्ति की एक बड़ी टुकड़ी भेजकर संयुक्त राष्ट्र शांतिमिशन में समर्पित सेवाओं का योगदान देता है।

आगे की राह

- राज्य की सहमति वांछनीय है: भारत के पड़ोस में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए संघ सशस्त्र बलों और राज्य नागरिक अधिकारियों के बीच मौजूदा संबंधों में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
 - हालाँकि केंद्र सरकार द्वारा अपने सशस्त्र बलों को तैनात करने से पहले यह वांछनीय है कि जहाँ भी संभव हो, राज्य सरकार से परामर्श कथिा जाना चाहिये।
- राज्य के आत्मनरिभर बनने की स्थिति: प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्र सरकार के परामर्श से अपनी सशस्त्र पुलिस को मज़बूत करने के लिये अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यवस्था पर काम कर सकती है।
 - इसका उद्देश्य सशस्त्र पुलिस के मामले में काफी हद तक आत्मनरिभर बनना होगा ताकि बहुत गंभीर गड़बड़ी की स्थिति में ही केंद्रीय सशस्त्र बलों की सहायता लेना आवश्यक हो।
- क्षेत्रीय व्यवस्था: पड़ोसी राज्यों के एक समूह की आम सहमति से ज़रूरत पड़ने पर एक-दूसरे की सशस्त्र पुलिस के उपयोग की स्थायी व्यवस्था हो सकती है।
 - क्षेत्रीय परिषद ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लिये एक क्षेत्र के भीतर राज्यों की सहमति प्राप्त करने हेतु सबसे अच्छे मंच के रूप में कार्य कर सकती है।

??????????:

प्रश्न. सीमा प्रबंधन वभाग नमिनलखिति में से कसि केंद्रीय मंत्रालय का एक वभाग है? (2008)

- (a) रक्षा मंत्रालय
- (b) गृह मंत्रालय
- (c) नौवहन, सड़क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय
- (d) पर्यावरण और वन मंत्रालय

उत्तर: (b)

??????????:

प्रश्न. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये बाह्य राज्य और गैर-राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का वश्लेषण कीजिये। इन संकटों का मुकाबला करने के लिये आवश्यक उपायों पर भी चर्चा कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/extending-bsf-jurisdiction>

